

LATL:CS:2019-20 Date: 20.02.2020

BSE Limited Listing Compliance Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400 001 The National Stock Exchange of India Limited Listing Compliance Department Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400051

Company Code: 532796 Company Code: LUMAXTECH

Subject: Filing of clippings of Notice published in the newspapers for fixation of Record Date

Ref.: Regulation 47 and 46 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Ma'am,

With reference to the above captioned subject, please find enclosed clippings of Notice published in the Newspapers today i.e. 20th February, 2020 viz. Financial Express (English- All Edition) and Jansatta (Hindi Edition) for fixation of Record Date for the purpose of payment of Interim Dividend for the Financial Year 2019-2020.

The above information shall also be made available on the website of the Company at www.lumaxworld.in/lumaxautotech.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

FOR LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED

ANIL TYAGI COMPANY SECRETARY M.NO. A-16825

Encl.: as above





ICICI Prudential Asset

Corporate Identi

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi -Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, We

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western E

NOTICE-CL

Details of Fund manager managing investment in ETCDs:

Fund Manager	Age/Qualification	Past experience
Mr. Lalit Kumar	35/PGDM - Indian Institute of Management, Calcutta (2010) and B.Tech in Electrical Engineering - Indian Institute of Technology, Kanpur (2006)	Mr. Lalit Kumar focuses on tracking commodities and related sec including Energy and Metals.
		He joined ICICI Prudential Asset Management Company Limite May 2017 as a Senior Manager and has over 9 years of work experies
		Past Experience:
	insided grant a greeners?	 ICICI Prudential Asset Management Company Limited - co fund man for two schemes from April 2019 - January 2020.
	at at the second real endought (095).	 East Bridge Advisors Pvt. Ltd - Equity Research Analyst - July 20 April 2017.
	ted by the same and and address	 Nomura Financial Advisory & Securities - Equity Research - June 2 to July 2015.
		Merrill Lynch - Intern - April 2009 to June 2009.
		 Cypress Semiconductors - Senior Design Engineer - August 200 May 2008.

Provisions related to Change in Fundamental Attributes

In accordance with Regulation 18(15A) of the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 the existing unitholders (i.e. whose na appear in the register of unitholders as on close of business hours on February 20, 2020) under the Scheme are he given an option to exit, i.e. either redeem their investments or switch their investments to any other schemes of ICICI Prude Mutual Fund, within 31 days exit period starting from February 27, 2020 till March 28, 2020 (both days inclusive and upto 3.0 on March 28, 2020) at Applicable NAV, without payment of any exit load. The Exit Option can be exercised during the Exit Option Period submitting a valid redemption/switch request at any Official Point of Acceptance of the Fund. For list of Official P of Acceptance, please visit our website. A separate written communication is being sent to the existing Unit holders in this re In case any existing Unit holder has not received an Exit Option Letter, they are advised to contact any of our Investor Service Ce or visit our website www.icicipruamc.com. Unitholders who do not exercise the exit option by 3.00 pm on March 28, 2020 would be dec to have consented to the proposed modification. It may also be noted that no action is required in case Unitholders are in agreement the aforesaid changes, which shall be deemed as consent being given by them for the proposed changes. Kindly note that an offer to is merely optional and is not compulsory. In accordance with recent guidelines issued by AMFI, investors are requested to en compliance with KYC requirements before submitting redemption requests. In case KYC requirements have not been completed redepiption requests would not be processed.

LUMAX

Lumax Auto Technologies Limited

DK JAIN

Regd. Office: 2nd Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi- 110046 Website: www.lumaxworld.in/lumaxautotech, Tel: 011-49857832 Email: shares@lumaxmail.com, CIN: L31909DL1981PLC349793

NOTICE OF RECORD DATE FOR INTERIM DIVIDEND

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act. 2013 read with rules made thereunder, the Board of Directors of the Company in its meeting held on Wednesday, 19th February, 2020, has declared an Interim Dividend of Rs. 2/- per equity share i.e. 100% on the equity share of Rs. 2/- each, fully paid-up, for the Financial Year 2019-2020. The Company has further fixed the "Record Date" as Friday, 6th March, 2020 for the purpose of payment of the aforesaid Interim Dividend.

For LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED

Place: Gurugram Date : 19.02.2020

ANIL TYAGI COMPANY SECRETARY

TECHNOFAB ENGINEERING

REGD. OFF: 913, Hemkunt Chambers, 89 Nehru Place, New Delhi – 110019, India Tel: +91-11-26411931/5961 Fax: +91-11-26221521 Website: www.technofabengineering.com

Email: info@technofabengineering.com NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, February 27, 2020, to interalia, consider and-approve the Unaudited Financial Results of the Company for quarter and Nine Months ended December 31, 2019.

This information is also available on the website of the Company viz. www.fechnofabengineering.com and the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of (www.nseindia.com) India

For Technofab Engineering Limited

Place: Faridabad Date: 19.02.2020

Suman Kumar Verma Company Secretary & Compliance Officer



Regd. Office: "S.K. ENCLAVE" I

Dear Shareholder(s), In pursuance of provisions of Se Investor Education and Protection Refund) Rules., 2016, every Com the dividend(s) remain unpaid or u the Investor Education and Protect the Central Government, Accord the Central Government. According to the Contral Government of the Contral the

Shareholders may note that the u Authority/Suspense Account inclican be claimed back by them fi

prescribed by the Rules.
The concerned shareholders, hol-liable to be transferred to IEPF Su be issuing duplicate share certific be them for the purpose of transf Rules and upon such issue, the or their name will stand automatical shareholders may further note the should be regarded and shall be duplicate share certifiacate(s) by t IEPF Suspense Account pursuant In case the Company does not shareholders, the Company shall, out in the Rules, transfer the share the procedure stipulated in the Rul

किश्तवाड से महिला को निकाला

जम्म्, १९ फरवरी (भाषा)।

वायुसेना ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड में बर्फ से ढके इलाके से

महिला को सरक्षित बाहर निकाल लिया है। महिला की हालत नाजक है। अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी।

ल्य्मैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

DK JAIN पंजी. कार्यालय : द्धितीय तल, हरबंस भवन—II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली—110046

वेबसाइटः www.lumaxworld.in/lumaxautotech दूरमाष : 011-49857832 ईमेल : shares@lumaxmail.com, सीआईएन : L31909DL1981PLC349793 अंतरिम लाभांश के लिए अभिलिखित तिथि की सचना

एतद् द्वारा सुचित किया जाता है कि उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में बुधवार, 19 फरवरी, 2020 की आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए रु. 2/- प्रति पूर्णतः प्रदत्त की इक्विटी शेयरों पर रु. 2/- प्रति इक्विटी शेयर अर्थात् 100% के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है।

पुनः कम्पनी ने उपरोक्त अंतरिम लाभांश के भगतान के उद्देश्य से शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को 'अभिलिखित तिथि' के रूप में निर्धारित किया है।

ल्यमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी लिमिटेड के लिए

स्थानः गुरुग्राम तिथि: 19.2.2020

अनित त्यागी कम्पनी सचिव

IDFC FIRST

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटॅंड

(भारत सरकार का उपक्रम) सीआईएन: L74899DL1970GO105276; जीएसटी नं: 07AAACH0632A1ZF पंजीकृत कार्यात्यः हडको भवन, कोर 7ए, भारत पर्यावास केन्द्र, लोघी रोड. नई दिल्ली–110003 टेलीफोन नं: 011-24649610, 24648196 फेक्स: 91-(011) 24625308 वेबसाईट: www.hudco.org

ई-निविदा सूचना

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड 'सॉफ्टवेयर ऍप्लिकेशन्स की एएमसी' हेतु ई-निविदा आमंत्रित करता है। डाउनलोड करने तथा विवरण के लिए हड़को वेबसाइट www.hudco.org तथा सरकारी वेबसाइट http://eprocure.gov.in पर देखें। निविदा को ई-निविदा वेबसाइट http://www.tenderwizard.com/HUDCO के द्वारा ही जमा करें।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड विदित)

CIN: L65110TH2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टावर्स, 8वॉ तल, हैरिग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031 टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

प्राधिकृत अधिकारी: श्री अमृत पाल सिंह गिल/ सम्पर्क नं. +91-9999776185

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम s (6) का प्रावधान] अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की पीएसबी इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रॉप. इकबाल बहादुर सिंह बवेजा, इकबाल बहादुर सिंह बवेजा, तेजिन्दर कौर बवेजा, परमीत सिंह बवेजा, जसनीत कौर बवेजा, डीआरके एण्टरप्राइजेज, प्रॉप. तेजिन्दर कौर बवेजा, जे.के. सैल्स कॉर्पोरेशन, प्रॉप. जसनीत कौर बवेजा (ऋणधारक-सह-ऋणधारकों) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) के बकाये 25.3.2019 को आईएनआर 39261507.3/- की वसूली के लिये 12.3.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 25000000/- तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 2500,000/- होगी

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति प्लॉट नं. जे-13/18, बीएफ एवं एसएफ, छत के अधिकार के साथ रजौरी गार्डन, दिल्ली-110027 की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात www.idfcfirstbank.com में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

तिथि: 17.2.2020

प्राधिकत अधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.

(पर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के नाम से विदित

आइएनएक्स मामला

अन्य को जमानत

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 19 फरवरी।

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर और अन्य को बुधवार को जमानत दे दी। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति आरोपी हैं। चिदंबरम को इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। विशेष ज्याचीश अजय कुमार कुहाड़ ने वित्त मंत्री के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) प्रदीप कुमार बग़ा। और एफआइपीबी के पूर्व निदेशक प्रबोध सक्सेना को भी जमानत दे दी। अदालत से राहत पाने वालों में वित्त मंत्रालय में एफआइपीबी इकाई के पूर्व सेक्शन अधिकारी अजीत कुमार डुंगडुंग, एफआइपीबी इकाई में तत्कालीन अवर सचिव रबींद्र प्रसाद और पूर्व संयुक्त सचिव (विदेश व्यापार) डीईए अनुप के पुजारी भी शामिल हैं।

अदालत ने सभी आरोपियों को दो लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी और उन्हें निर्देश दिया कि वे बिना अनुमित देश नहीं छोड़ेंगे। साथ में अदालत ने उन्हें साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और जांच में बाधा नहीं डालने के भी निर्देश दिए।

चिदंबरम के पूर्व ओएसडी प्रदीप बग्गा सहित छह आरोपियों को मिली जमानत

अदालत ने सभी आरोपियों को दो लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी और उन्हें निर्देश दिया कि वे बिना अनुमति देश नहीं छोडेंगे। साथ में अदालत ने उन्हें साक्ष्यों से छेडछाड नहीं करने और जांच में बाधा नहीं डालने के भी निर्देश दिए

सीबीआइ ने आरोपियों की जमानत अर्जियों का यह कहते हुए विरोध किया कि अगर उन्हें राहत दी जाती है तो वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। जमानत देने का अनुरोध करते हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और वकील विकास कुमार पाठक ने कहा था कि सीबीआइ ने मामले की जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा- अब जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और अंतिम रिपोर्ट दायर की जा चकी है। अब उन्हें हिरासत में लेने का कोई आधार नहीं है क्योंकि इस तरह का कोई सबत नहीं जो संकेत करता हो कि उन्होंने जांच में बाधा डालने की कोशिश की।

स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे दिल्ली सरकार

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 19 फरवरी।

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली सरकार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पर राजद्रोह के मामले में मुकदमा चलाने की नौ फरवरी, 2016 को परिसर में लगाए गए राजद्रोह के नारों का समर्थन किया और जुलूस निकाला

इससे पहले अदालत को पुलिस ने सुचित किया कि उसने अपना काम कर दिया है और अब निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। अदालत ने पुलिस को निर्देश